न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/513

मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी विराजमान मोतीकुआ जरिये व्यवस्थापक चन्द्रवीर सिंह आत्मज बलदेव सिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम मोती कुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामावतार आत्मज बजरंगदास जाति बैरागी ।
2. महावीर आत्मज बजरंगदास जाति बैरागी निवासीगण ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. महेन्द्र उर्फ रामलक्ष्मण आत्मज बजरंग दास जाति बैरागी ।
4. पुरूषोत्तम आत्मज बजरंग दास जाति बैरागी निवासीगण ग्राम सुल्तानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा में मूर्ति मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी महाराज विराजमान का वादी चन्द्रवीर के पूर्वजों का एक निजी मंदिर स्थित है । उक्त मंदिर ककरावदा के नदी के डूब में आ जाने के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हो गया और वादी के पिता बलदेव सिंह आत्मज गुमान सिंह द्वारा मूर्ति को ग्राम मोतीकुंआ लाकर अपने कच्चे मकान पर लाकर स्थापित किया तथा उसके पश्चात् वादी के पिता की मृत्यु सन् 1972 में हो गयी तथा वादी चन्द्रवीर ने पन्नालाल आत्मज बालू जी लश्करी से सन् 2003 में क्रय कर मकान व मंदिर का निर्माण कार्य करवाया तथा वादी चन्द्रवीर ही उक्त मंदिर की सेवा पूजा अर्चना करते हैं ।

वादी ही मंदिर के व्यवस्थापक व नेक्स्ट फ्रेण्ड हैं । वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम चींसा तहसील दीगोद में मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी महाराज के नाम खसरा नम्बर 142 की 0.97 हैक्टर एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 120 की 0.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 121 की 0.77 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है । वादी ने उक्त मंदिर की सेवा पूजा करने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को रखा था । कुछ समय से प्रतिवादी सेवा–पूजा अर्चना नहीं करते हैं । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने भ्राता प्रतिवादी क्रम 3, 4 से मिलकर वादी मंदिर एवं वादी की कृषि भूमियों पर कब्जा करने की नियत रखने लगे हैं तथा मंदिर की कृषि भूमियों के वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा करना प्रारम्भ कर दिया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त मूर्ति मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी महाराज की ग्राम चींसा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 142 की 0.97 हैक्टर एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 120 की 0.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 121 की 0.77 हैक्टर भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, वादी को उक्त भूमि से काश्त करने से नहीं रोके तथा वादी को उक्त भूमियों से बेदखल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी के नाम दर्ज है और वादी मूर्ति मंदिर उक्त विवादित भूमि ही खातेदार है । वादी मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है जिसके हितों की रक्षा करने हेतु उक्त वाद मूर्ति मंदिर की ओर से ही उसके व्यवस्थापक द्वारा प्रस्तुत किया गया है न कि व्यक्तिगत केपेसिटी में पेश किया गया है । उक्त वाद में किसी प्रकार की घोषणा चाही गयी है वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसको वादी मूर्ति मंदिर की भूमि के काश्त के सम्बन्ध में व्यवस्थापक को वाद पेश करने का पूर्ण अधिकार है । उक्त भूमि पर हमेशा व्यवस्थापक चन्द्रवीर का ही कब्जा काश्त रहा है । वादी मूर्ति मंदिर के व्यवस्थापक द्वारा ही मंदिर की सेवा पूजा की जा रही है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 11.06.2018 को दावा खारिज करने का निर्णय सुनाया तथा खाली ऑर्डर शीट पर अपीलान्ट के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवा कर कहा कि निर्णय बाद में लिखा दिया जावेगा । अपीलान्ट लगातार 02 माह तक अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगाता रहा तो पता चला कि अभी तक निर्णय नहीं लिखाया गया है तथा दिनांक 30.07.2018 को जानकारी मिली की निर्णय लिखा दिया गया है जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक

31.07.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा में मूर्ति मंदिर श्री बाल मुकुन्द जी महाराज विराजमान का वादी चन्द्रवीर के पूर्वजों का एक निजी मंदिर स्थित है । वादी चन्द्रवीर मंदिर मूर्ति के व्यवस्थापक एवं नेक्स्ट फ्रेण्ड्स हैं । वर्तमान में ग्राम चींसा की वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज है । मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रखा था जो सेवा–पूजा करते चले आ रहे थे । पिछले कुछ समय से सेवा–पूजा नहीं कर रहे हैं और मंदिर के खाते की आराजी पर भी काश्त नहीं की है । प्रतिवादी, वादी मंदिर की आराजी पर काश्त करने की नियत रखते हैं और उनके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं । इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । पत्रावली में जवाबदावा पेश नहीं हुआ और इसको लोक अदालत में रखा गया और सीपीसी की पालना किये बिना दावा वादी खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है, जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है अपीलान्ट का नहीं है । अपीलान्ट ने मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया है **simpliciter** स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । स्वत्व अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है कब्जा भी उनका नहीं है । इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलसी 1999 (2) पेज 595, डब्ल्यूएलसी 1996 (3) पेज 155 एवं डीएनजे (एससी) सप्ली0 2007–08 पेज 64 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी के अभिभाषक और प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

पत्रावली जवाब में लम्बित थी । दावा मंदिर श्री बालमुकुन्द जी महाराज की ओर से पेश किया गया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार ग्राम चींसा की खसरा नम्बर 142 की 0.97 हैक्टर एवं ग्राम ककरावदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 120 की रकबा 0.17 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121 की रकबा 0.77 हैक्टर आराजी मंदिर श्री बालमुकुन्द जी महाराज के खाते में दर्ज है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । इस दृष्टि से हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा